

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-11-2023

Agency Name.	HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Application No.	64153329748
MoEF/SG File No.	9-HRB156-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	SHAKTI BHAWAN, SECTOR -6 PANCHKULAPanchkula
Amount(In Rs)	2596892/-

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Ninety-Six Thousand Eight Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506964153329748 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-11-2023

Agency Name.	HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED
Application No.	64153329748
MoEF/SG File No.	9-HRB156-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	SHAKTI BHAWAN, SECTOR -6 PANCHKULA Panchkula
Amount(In Rs)	2596892/-

Amount In Words :Twenty-Five Lakh Ninety-Six Thousand Eight Hundred and Ninety-Two Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506964153329748 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

SBINR 5202311 2185185531

NOV 2023

Email

Executive Engineer TS Krnal

RTGS Transaction

From : iphinfo ltps <iphinfo.ltps@alerts.sbi.co.in>

Tue, Nov 21, 2023 03:33 PM

Subject : RTGS Transaction

📎 1 attachment

To : Executive Engineer TS Krnal <XENTSKNL@HVPN.ORG.IN>

Dear Customer,

Thank you for banking with State Bank of India.

The details of the RTGS transaction originated by you are given below.

A/c Debited: XX1025
Date: 21/11/2023
UTR No.: SBINR52023112185185531
Beneficiary Name: HARYANA CAMPA
Beneficiary A/c No.: XX9748
Bank IFSC: UBIN0996335
Amount Remitted: INR 25,96,892.00

This is an auto generated mail. Please do not reply to this message or on this email address.
For any query, please contact our toll-free numbers 1800-1234, 1800-2100 & 1800 112211.

Do not disclose any confidential information such as Username, Password, OTP etc. to anyone.

Sincerely,
SBI RTGS Team

**COMPLAINEE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHERS TRADITIONAL FOREST DWELLERS
(RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006**

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DISTRICT COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT: Request for NOC Diversion of 0.5845 hec. of forest land used only construction of 220 Kv D/C Mund-IOCL Transmission Line in District Karnal, Haryana.

As per the report received from Divisional Forest Officer (T), Karnal vide letter no. G/FCA/2618, dated 03.02.2023. It is Certified that the forest land proposed to be diverted is plantation area which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in Village having no recorded population of Scheduled Tribe, as per the Census-2001 and Census-2011.


Signature

(Full name and official Seal of the District Collector)

No. 382/LPA

Dated:- 03/03/2023





HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMITED

Regd. Office: Shakti Bhawan, Sector-6, Panchkula
Corporate Identity Number : U40101HR1997SGC033683
Website : www.hvsn.gov.in E-mail : xentsknl@hvsn.gov.in
Tel. No.: 0184-2266169 Fax No. : 0184-2268833

Office of the

Executive Engineer, Transmission System Division, HVPNL, Karnal - 132001

सेवा में,

जिला वन अधिकारी
करनाल

क्रमांक 190/EST-38/220 दिनांक:- 17/11/2023

विषय:- Diversion of 0.5845 ha. Forest land for construction of 220 KV D/C Mund IOCL transmission Line in under forest Division & District Karnal. (Online Proposal No. FP/HR/TRANS/153329/2022)-reg

Ref: Additional Principal Chief conservator forest State Government letter no. 9-HRB156/2023-CHA dated 25.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मद संख्या 2A (v) अनुसार मांगा गया वचन पत्र नीचे दिया गया है:-

यह वचन दिया जाता है कि Xen TS Division , HVPNL, Karnal (Stage-1) के पास s-1 अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है,

इसके अतिरिक्त मद संख्या 2-B में मांगी गयी अन्डरटेकिंग नीचे दी गई है:-।

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/ पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सी.ए. योजना के अनुसार **degraded वन भूमि Drain No. 2, Munak head to Dadlana bridge, Gharaunda** पर सी.ए. किया जायेगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जायगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जायगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ए.सी.ए योजना के अनुसार **वन भूमि Drain No. 2, Munak head to Dadlana bridge, Gharaunda** पर ए.सी.ए किया जायेगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जायेगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जायगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जायगा।
- वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रतिपूर्ति पोधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पोधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगे।

SDO Const. S/Divn.
HVPNL.KARNAL

- vi. नोडल अधिकारी (STATE CAMPA) यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रति पूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार बजट वन मंडल अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे।
- vii. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
- viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा
- ix. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
- x. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।
- xii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले-आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- xiii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों परधन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- xv. प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर 35 मीटर होगी।
- xvi. प्रत्येक कंडक्टर के नीचे टेंशन सटरिंगिंग उपकरण लगाने के लिए 3.0 मीटर की चौड़ी पट्टी में निकासी की अनुमति दी जायेगी। परन्तु सटरिंगिंग कार्य खत्म होने पर प्राकृतिक सम्पोषण होने दिया जायेगा ।
- xvii. कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम 4.6 मीटर होना चाहिए । कंडक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा। बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्य स्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा
- xviii. प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी ।
- xix. प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लागत पर पक्षियों को तारों से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के उपरी कंडक्टर पर पक्षी डिलेक्टर (Bird deflectors) लगाएगी ।
- xx. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xxi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xxii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।
- xxiii. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xxiv. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।


 SDO Const. S/Divn.
 HVPNL.KARNAL.

- 1
- xxv. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह- समाप्ति होगी
- xxvi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय समय पर लगाई जा सकती है।
- xxvii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।
- xxviii. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी

यह आपको सूचनार्थ एवम आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


SDO Const. S/Divn.
HVPNL. KARNAL


Executive Engineer
TS DIVN. HVPNL, KARNAL

CC:-

Copy of the above is forwarded to SDO Construction S/D HVPNL, Karnal.